

Peer Reviewed Journal for M. Phil., Ph.D. & Appointment of Teacher in Universities & College

ISSN : 2394-3580

VOLUME - 6 No. : 5 March - 2019

# Swadeshi Research Foundation

## A MONTHLY JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH



Referred & Review Journal

Indexing & Impact Factor 4.2

Published by :

**Swadeshi Research Foundation & Publication**

Seva Path, 320 Sanjeevani Nagar,  
Veer Sawarkar Ward, Garha, Jabalpur (M.P.) - 482003

# CONTENTS

| S. No. | Paper Title                                                                                                     | Author Name                              | Page No. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| 1      | भारतीय व्यवसायिक क्षेत्र में अग्रणी महिलाएँ                                                                     | डॉ. बसंत कुमार                           | 1-2      |
| 2      | भारत – नेपाल संबंध और चीनी चिंता                                                                                | डॉ.आर.एस.वर्मा<br>जितेन्द्र कुमार मालवीय | 3-4      |
| 3      | कृषि विकास में सिंचाई की भूमिका, समस्याएं एवं समाधान                                                            | साँचेत सिंह देशमुख                       | 5-12     |
| 4      | प्राचीन चिकित्सा का नया प्रयोग – संगीत चिकित्सा                                                                 | संजय दुबे                                | 13-14    |
| 5      | सहरिया जनजाति समुदाय के माध्यम से वन संरक्षण एवं सुरक्षा (समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन)                   | कु. नीतू बाला                            | 15-17    |
| 6      | साहित्य एवं समाज                                                                                                | अनामिका कतरौलिया                         | 18-19    |
| 7      | वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में 'समय साक्षी है' उपन्यास का मूल्यांकन                                              | पूजा पटेल                                | 20-24    |
| 8      | ध्रुपद गायन वादन में सहायक वाद्य पखावज की परम्परा                                                               | अमृता चौरसिया                            | 25-29    |
| 9      | सर्वशिक्षा अभियान के क्रियान्वयन में प्रशासन की भूमिका                                                          | डॉ. दीप्ती राठौर                         | 30-34    |
| 10     | डिण्डौरी जिले में प्राप्त महत्वपूर्ण पुरावशेष                                                                   | मंगू दास चंदेल                           | 35-37    |
| 11     | स्वदेशी एक गांधीवादी व्रत                                                                                       | बिंदिया महोबिया                          | 38-39    |
| 12     | साँची के महास्तूप क्रमांक 1 के तोरण द्वारों में वनस्पति का अंकन                                                 | आनंद प्रकाश झारिया                       | 40-42    |
| 13     | आधुनिकीकरण का सहरिया जनजाति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव म.प्र. के शिवपुरी जिले के विशेष संदर्भ में | रेखा सोलंकी                              | 43-52    |
| 14     | किशोर विद्यार्थियों के मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन करना : विद्यालय के प्रकार व क्षेत्र के संदर्भ में            | डॉ. बबीता वर्मा                          | 53-55    |
| 15     | मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा कृषि विकास : उज्जैन जिला पंचायत के विशेष संदर्भ में                        | डॉ. अश्विन लोया                          | 56-60    |

|    |                                                                                                                            |                                                 |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| 16 | ग्रामीण वित्तीय सशक्तिकरण में नाबार्ड की भूमिका                                                                            | डॉ. देवेन्द्र जैन                               | 61-65   |
| 17 | स्लेट पेंसिल उद्योग का आर्थिक विश्लेषण-एक भौगोलिक अध्ययन                                                                   | डॉ. शांतिलाल ईरवार                              | 66-73   |
| 18 | शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् उच्च एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि, दाले विद्यार्थियों की व्यवसायिक रुचि का अध्ययन | श्रीमती अंजली अवस्थी                            | 74-76   |
| 19 | किशोर विद्यार्थियों को अनुशासनात्मक व्यवहार पर संवेगात्मक बुद्धि एवं आत्म विश्वास के प्रभाव का अध्ययन                      | डॉ. श्रीमती बबीता बर्मा<br>श्रीमती अंजली अवस्थी | 77-79   |
| 20 | मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास में वित्तीय संस्थाओं के योगदान का अध्ययन                                                      | डॉ. शैलेन्द्र कुमार<br>बसेड़िया                 | 80-86   |
| 21 | ईस्ट इण्डिया कालीन आर्थिक व्यवस्था                                                                                         | डॉ. राजेश सकवार                                 | 87-89   |
| 22 | ग्रामीण भारत में खाद्यान्न सुरक्षा के क्षेत्र में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका                                 | जितेश पोरवाल                                    | 90-95   |
| 23 | भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के काव्य में राष्ट्रीय चेतना                                                                         | पायल लिल्हारे                                   | 96-98   |
| 24 | अनिद्रा रोग Insomnia की संगीत चिकित्सा                                                                                     | संजय दुबे                                       | 99-100  |
| 25 | डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का बौद्ध धर्म के प्रति दृष्टिकोण                                                                    | निर्मल कीर्ति गेडाम                             | 101-105 |
| 26 | भ्रष्टाचार – कारण व निवारण “वर्तमान में भ्रष्टाचार सर्वत्र और सर्वशक्तिमान हो गया है, मानो भावना की जगह ले रहा हो”         | डॉ. सुनिता श्रीवास्तव                           | 106-107 |
| 27 | वर्तमान समय में महिला साक्षरता का प्रभाव जनजातीय समाज पर                                                                   | डॉ. प्रीतिबाला मिश्रा<br>माधवीलता               | 108-111 |
| 28 | नैतिक मूल्यों की महत्ता                                                                                                    | ज्ञान्ती यादव                                   | 112-114 |
| 29 | होलकर रियासत की स्थापना और उसके क्षेत्र का इतिहास                                                                          | डॉ. बी.एल. चौहान<br>सोनल सिंह वास्केल           | 115-117 |
| 30 | सोलह कलाओं के अवतार श्री राधा के कृष्ण                                                                                     | अंजली कनौजिया                                   | 118-123 |
| 31 | पुलिस विज्ञान वर्तमान परिप्रेक्ष्य में                                                                                     | डॉ. श्रीमती उषा तिवारी<br>रेखा चन्द्रपाल        | 124-125 |
| 32 | रोजगार के अवसर : मनरेगा के विशेष सन्दर्भ में                                                                               | डॉ. रविदास अहिरवार                              | 126-130 |

## रोजगार के अवसर : मनरेगा के विशेष सन्दर्भ में

डॉ. रविदास अहिरवार

समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर म.प्र.

**भूमिका :-** भारत में सामाजिक सुरक्षा उपायों का पुनर्विलोकन दर्शाता है कि 1990 तक, अधिकांश योजनाएं केवल संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए उपयोगी और सहयोगी थीं। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का बहुमत सामाजिक सुरक्षा प्रावधान से बाहर था। गरीबी दूर करने के कार्यक्रम भारत के असंगठित क्षेत्र के कुछ समूहों को राहत पहुंचाते थे और उन्हें कल्याणकारी अनुदान प्रदान करते थे। 1990 के आरंभ से बेहतर आर्थिक प्रदर्शन, और मजबूत राजनैतिक प्रतिबद्धता के बाद बहुत से सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम आरंभ किए गये।

इक्कीसवीं सदी का वैश्विक समाज लघुत्तम विचारों और लघु योजनाओं के बृहद लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये तेजी से आगे बढ़ रहा है। परन्तु विषमताएं आज भी हमें देखने को मिलती हैं। और यहीं विषमताएं विकास के मार्ग में बाधक होती हैं। समाज में जितनी विषमताएं होंगी समाज के विकास में उतनी ही कठिनाई पैदा होगी। विशेषकर विश्व के अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में भी विषमताएं बढ़ती दिखाई देती हैं। भारत में गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन सभी विषमताओं को दूर करना एक विकासशील देश का दायित्व बनता है।

अगर भारत में रोजगार के इतिहास को देखा जाये तो 60 के दशक में पड़ी सूखे की मार से उत्पन्न राष्ट्रीय ग्लानि की भावनाओं ने अपने देश की नीति को बदलने विशेषकर रोजगार एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने की नीति को बदलने के लिये मजबूर कर दिया था। इन सबके बदलने के पीछे एक मात्र कारण हो सकता है जो कि हरित क्रान्ति के पहिए डगमगाने लगे थे। ऐसी विकट स्थिति में गरीबी का संकट और गहराने की स्थिति बन रही थी जिसे अनेक संस्थाओं ने इसका सर्वे कार्य कर अपने-अपने आँकड़ें प्रस्तुत किये।

इसी संदर्भ में डॉ. श्यामाचरण दुबे अपनी पुस्तक **विकास का समाजशास्त्र** में लिखते हैं :- विकास का लाभ जनसंख्या के एक छोटे से हिस्से

तक सीमित रहा व आम आदमी तक नहीं पहुँच सका। गरीबी असमानता तथा बेरोजगारी मिटाने को विकास योजनाओं का आवश्यक लक्ष्य बनाये जाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। विकास की अवधियों में जीवन यापन, आत्म गौरव और विकल्प चुनने की स्वतंत्रता तीन केन्द्रीय मूल्यों को समाहित किया।

सम्भवतः भारत में अनेक ऐसी योजनाओं का संचालन किया गया जो गरीबी और रोजगार को लेकर बनाई गई हैं। परन्तु उन सभी योजनाओं में भारत के समाजशास्त्री (डॉ. श्यामाचरण दुबे) का मानना है कि उन सभी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उस वर्ग या समाज के निचले व्यक्ति तक नहीं पहुँचा बल्कि एक सीमित क्षेत्र ही तक रहा।

समाज वैज्ञानिकों एवं योजनाकारों और विशेषज्ञों द्वारा किये गये अध्ययन एवं अनुभवों से यह ज्ञात होता है कि आज की मुख्य समस्या समाज में एवं बेरोजगारी के इस आलम में रोजगार के अवसर पैदा करना मुख्य चिन्ता का विषय है। समाज वैज्ञानिकों ने अपने अनुभव में यह तथ्य स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है, कि देश की बड़ी जनसंख्या को गरीबी की समस्या से निकालने के लिये रोजगार के अवसर प्रदान करने का कार्य प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। और यह कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य न होकर अनिवार्य दायित्व होना चाहिए।

एक देश के विकास के बारे में पूछे जाने वाला प्रश्न है "गरीबी के साथ क्या होता है ? बेरोजगारी के साथ क्या होता है ? असमानता के साथ क्या होता है ? यदि इन तीनों की उच्च मात्राओं में कमी आई है तो निःसंदेह उस देश में उक्त अवधि में विकास हुआ है।"

### डडले सीयर्स

इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या को कम करना आज की मुख्य चुनौती है इस समस्या से निपटने के लिये आज हमें कृषि, तकनीकी, रोजगार के अवसरों, में वृद्धि करनी होगी जिससे भारतीय समाज का विकास सम्भव होगा।

ग्राम – नगर प्रवसन के सिद्धांत—

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री आर्थर लेविस ने 1954 में ग्राम –नगर प्रवसन का द्वि-क्षेत्रक मॉडल प्रस्तुत किया। ये क्षेत्र है :-

1. जीविकोपार्जन के स्तर वाला ग्रामीण क्षेत्र
2. आधुनिक नगरीय औद्योगिक क्षेत्र

यह सिद्धांत एक ऐसी अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित है जिसमें श्रम शक्ति का स्थानान्तरण जीविकोपार्जन स्तर वाले ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय औद्योगिक क्षेत्र में होता है लेविस के इसी सिद्धांत को 1961 में गुस्तॉव रानिस तथा जॉन फी ने नए सिरे से प्रतिपादित किया है।

टोडारों का मानना है कि लेविस का यह कथन अनिवार्य रूप से सत्य नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में अतिरिक्त श्रम शक्ति है तथा नगरीय क्षेत्र में पूर्ण रोजगार उपलब्ध है। विशेष रूप से अल्पविकसित देशों के नगरीय क्षेत्रों में पूर्ण रोजगार उपलब्ध नहीं है योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1978 में भारत में नगरीय क्षेत्र में श्रम शक्ति का 5 प्रतिशत बेरोजगार तथा जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह 1 प्रतिशत से भी कम था।

काम का अधिकार भारतीय संविधान की धारा 41 में निहित है। किन्तु मौलिक अधिकारों के रूप में नहीं है, बल्कि शासकीय नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में है। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों में यह बात कहीं गई है कि सरकार को निर्देशक सिद्धान्तों का मौलिक अधिकारों का दर्जा देना चाहिए। मानव अधिकार के सार्वभौमिक उद्घोषण, Universal Declaration of Right और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की "अवधि सामाजिक संधि" पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दायित्व भी है कि वह ऐसा करे।

तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जरिये संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम और देश में स्थानीय शासन प्रणाली की स्थापना ने देश में लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि इसके लिये ऐसी स्थानीय सरकारी संस्थाओं के उच्च आर्थिक विकास के युग में समावेश को बढ़ावा देने के लिए धुरी बनाया जाएगा। धन के पुनर्वितरण और सार्थक रोजगार सृजन के जरिये एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच बनाने के लक्ष्य के तहत

जनकल्याणकारी योजनाओं की लोकप्रियता विकासशील देशों में बढ़ती जा रही है। अगस्त 2005 में लागू एनआरईजीए यानी नरेगा भी ऐसी ही एक योजना है। इस दस्तावेज में देशभर के जिलों में चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करते हुए सरकारी कार्यों में भागीदारी, श्रम शक्ति की भागीदारी और अनियमित कामगारों की वास्तविक मजदूरी पर नरेगा के उद्देश्य के प्रभावों की विवेचना के उद्देश्य से आकलन किया जा सकेगा।

**1. रोजगार कार्यक्रमों का औचित्य :-** देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ज्यादातर गरीब लोग अकुशल, दिहाड़ी, शारीरिक मजदूरी से मिलने वाली मजदूरी पर आश्रित रहते हैं। वे अक्सर न्यूनतम साधनों से अपना गुजारा करते हैं और गहन गरीबी की निरंतर आशंका में जीते हैं। श्रम की अपर्याप्त मांग तथा प्राकृतिक आपदा अथवा बीमारी जैसे अनपेक्षित संकट, ये सभी उनके रोजगार अवसरों पर बहुत बुरा असर डालते हैं। विकसित और विकासशील देशों में गरीबी और बेरोजगारी से निपटने के लिए ऐसे रोजगार कार्यक्रम बहुत लंबे समय से काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। इन कार्यक्रमों में सिंचाई, वृक्षारोपण, जल संरक्षण एवं सड़क निर्माण जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं में सीमित अवधि के लिए अकुशल शारीरिक श्रम मुहैया कराया जाता है। रोजगार कार्यक्रमों का औचित्य कुछ बुनियादी मान्यताओं पर आधारित है। इस तरह के कार्यक्रम संकट के समय गरीब परिवारों को आय का जरिया उपलब्ध कराते हैं और उन्हें उपभोग स्तर बनाए रखने में मदद देते हैं। ये कार्यक्रम उन दिनों या सालों में खासतौर से उपयोगी साबित होते हैं जब खेतिहर रोजगार कम होते हैं। भारी बेरोजगारी वाले देशों में रोजगार कार्यक्रमों से मिलने वाले ये आय स्थानांतरण लाभ गरीबी को बढ़ने से रोकते हैं। इन कार्यक्रमों के कारण स्थाई संपदाओं का निर्माण होता है जिनके कारण दूसरे चक्र के रोजगार भी पैदा होने लगते हैं क्योंकि उनके लिए जरूरी बुनियादी ढांचा अस्तित्व में आ जाता है।

सामाजिक परिवर्तन की सैद्धान्तिक व्याख्या सबसे पहले समाजशास्त्र के जनक विचारकों ने की थी। दुर्खीम ने पूर्व औद्योगिक समाज की तुलना औद्योगिक समाज से करते हुए सामाजिक परिवर्तन का मूल्यांकन किया। जबकि कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद

के संदर्भ में की जबकि इसके पूर्व हीगल ने सामाजिक परिवर्तन के रूप में परिवर्तन चेतना की व्याख्या की थी।

डॉ. श्यामाचरण दुबे ने भारतीय समाज के सन्दर्भ में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या अण्डरस्टेडिंग चेंज में की है उनका कहना है कि सामाजिक परिवर्तन संस्कृति और मानव व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है

**2. भारत में रोजगार कार्यक्रम :-** ग्रामीण इलाकों में मौजूदा आजीविका स्रोतों को और बढ़ाने के लिए एक व्यवस्था विकसित करने की जरूरत विकास नियोजन के शुरुआती दौर में ही महसूस की जाने लगी थी। इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई रोजगार कार्यक्रम शुरू किए जिनमें न्यूनतम मजदूरी के आधार पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों को रोजगार दिया जाता था। मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रमों को प्रायोगिक स्तर पर रूरल मैनपावर (आरएमपी) (1960-1961), क्रेष स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट (सीआरएसई) (1971-72), नमूना सघन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (पीआईआरईपी) (1972), लघु कृषक विकास एजेंसी (एसएफडीए), सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक योजना (एमएफएएल) आदि कार्यक्रमों के रूप में शुरू किया गया था। 1977 में काम के बदले भोजन योजना (एफडब्ल्यूपी) के जरिए इन कार्यक्रमों को एक संपूर्ण मजदूरी आधारित कार्यक्रम में रूपांतरित कर दिया गया। अस्सी के दशक में इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी) के रूप में और ठोस रूप दिया गया। जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) (1993-94), रोजगार आश्वासन योजना (ईएएस) को मिलाकर 1999-2000 से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) शुरू की गई और इसे एक ग्रामीण अवरचनागत कार्यक्रम बना दिया गया। 2000-01 से इस कार्यक्रम को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) में तथा 2005 से राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) (2005) में मिला दिया गया। केंद्र सरकार की सहायता से राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किए गए ये वेतन आधारित रोजगार कार्यक्रम स्वलक्ष्य निर्धारण की पद्धति पर आधारित थे तथा इनका उद्देश्य दिहाड़ी शारीरिक श्रम पर आश्रित गरीबों को बेहतर रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना था। राज्य स्तर पर महाराष्ट्र सरकार ने

जरूरतमंद लोगों को वेतन आधारित रोजगार मुहैया कराने के लिए महाराष्ट्र रोजगार गारंटी योजना तथा महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम, 1977 सूत्रबद्ध किया।

**3. एनआरईजीए मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रमों को वैधानिक स्वरूप प्रदान करना :-** इन कार्यक्रमों से मिले अनुभवों के आधार पर ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुरक्षा की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) पारित किया गया। यह कानून 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। एनआरईजीए का महत्व इस बात में निहित है कि यह कानून मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रमों को अधिकार केंद्रित नजरिये से देखता है और रोजगार मांगने वालों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी बनाता है। इस लिहाज से देखा जाए तो यह कानून केवल सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करता बल्कि रोजगार अधिकार की गारंटी देता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एनआरईजीए) के जरिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि अगर किसी ग्रामीण परिवार के कोई वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है तो एक वित्त वर्ष की अवधि में उस परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस अधिनियम को प्रारंभिक चरण में देश के 200 जिलों में लागू किया गया है। धीरे-धीरे इस कानून को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य इलाकों में भी लागू किया जाएगा। लक्ष्य यह है कि पांच साल के भीतर इस कानून को पूरे देश में लागू कर दिया जाए। किन्तु डॉ. मिहिर शाह अपनी पुस्तक एनआरईजीएस की भूमिका में लिखते हैं। "भारत की विकास योजनाओं की शुरुआत ही इस पूर्वाग्रह से हुई कि ग्रामीण क्षेत्र के करोड़ों बेरोजगारों के उद्धार का एकमात्र तरीका है शहरों में उद्योग स्थापित कर उन्हें वहाँ के अवसर प्रदान करना।

**गांधीवादी विचारधारा -** विकास के गांधीवादी परिप्रेक्ष्य की व्याख्या के लिये, इसे मानवतावादी और नैतिकतावादी सामाजिक दर्शन के सामान्य सैद्धान्तिक ढाँचे में देखने की जरूरत है, जिसके बारे में न सिर्फ कहा करते थे, बल्कि व्यवहार भी करते थे। उनका

दृष्टिकोण सत्य और अहिंसा के प्रति उनके विश्वास से बहुत गहराई से जुड़ा है।

देश के विकास का मॉडल प्रस्तुत करते समय गांधी जी एक राष्ट्रवादी जोश पैदा करने की भावना से भरे हुये थे। गांधी जी ने औद्योगिक सभ्यता को नापसन्द किया तथा हस्तशिल्प सभ्यता का पक्ष लिया, गांधी जी का मानना था कि जो कार्य है वो जिस स्थान पर है उसी स्थान के लोगों से करवाया जाये वजाय किसी मशीनीकरण के तभी विकास सम्भव है।

गाँधी जी ने गाँवों के पुनुरुद्धार की कल्पना की थी उन्होंने 1936 में कहा था कि गाँवों का पुनुरुद्धार तभी संभव है जब इनका और अधिक शोषण बन्द हो जाये। बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण का होना गरीबों और ग्रामीण का शोषण है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में कई ऐसे पहलू हैं जिनके आधार पर इसे "जनता का कानून" कहा जा सकता है। सबसे पहली बात तो यही है कि इस अधिनियम की रूपरेखा तैयार करते हुए तमाम मुद्दों पर बहुत सारे जनसंगठनों के साथ परामर्श की एक लंबी प्रक्रिया चलाई गई। दूसरी बात, यह एक ऐसा कानून है जिसके माध्यम से कामकाजी लोगों की जरूरतों को संबोधित करने और प्रतिष्ठापूर्ण जीवन के उनके मूलभूत अधिकार को साकार करने की कोशिश की जा रही है। तीसरे, यह कानून ग्राम सभाओं, सामाजिक ऑडिट, सहभागी नियोजन और अन्य माध्यमों से आम लोगों को भी रोजगार गारंटी योजनाओं के क्रियावन्धन में सक्रिय भूमिका अदा करने का मौका देता है। बाकी कानूनों से तुलना की जाए तो एनआरईजीए सचमुच ही जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का कानून है।

यह कानून रोजगार अधिकार को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कानून के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा जिससे लोगों को रोजगार के नियमित अवसर मिलेंगे। इस कानून के तहत मुख्य रूप से सूखा, जंगलों का विनाश और भूमि कटाव जैसी उन समस्याओं को संबोधित किया जाएगा जिनके कारण बड़े पैमाने पर गरीबी फैल रही है। अगर इस कानून को सही ढंग से लागू किया गया तो इसके अंतर्गत पैदा होने वाले

रोजगार गरीबी के भौगोलिक नक्शे को बदलने में एक दूरगामी भूमिका अदा कर सकते हैं।

एनआरईजीए में प्रावधान है कि इस कानून के लागू होने के बाद छह माह में प्रत्येक राज्य सरकार को अपने-अपने स्तर पर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (आरईजीएस) तैयार करनी होगी। रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य रोजगार की कानूनी गारंटी को साकार करना है जिससे गाँवों के ऐसे प्रत्येक परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा जिसके वयस्क सदस्य दस अधिनियम की शर्तों के तहत अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है। प्रत्येक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में इस अधिनियम की अनुसूची-1 तथा अनुसूची-11 में उल्लिखित न्यूनतम मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जायेगा।

#### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मार्गदर्शिका
- 2008 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005
- दुबे श्यामा चरण – विकास का समाज शास्त्र, वाणी प्रकाशन बर्धमान ऑफसेट दिल्ली
- मुखर्जी रवीन्द्र नाथ – भारतीय समाज व संस्कृति
- परमिल बी. कर – समाजशास्त्र सामाजिक अन्तःक्रियाओं का अध्ययन
- गुप्ता मोतीलाल – भारत में समाज
- राजकिशोर-2006 नैतिकता के नये सवाल वाणी प्रकाशन नई दिल्ली
- एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन (एफपीआरओ) की रिपोर्ट, 'दन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड बियांड : एक्सप्लोरिंग द स्कोप फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड सपोर्ट अंडर एम जी एन आर ई जी ए' –ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली, 2009
- अय्यर वाई. और एस. सामजी, 'गारंटीड गंड गवर्नेंस : अंडरस्टैंडिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अकाउंटिबिलिटी इन नरेगा : डिजाइन, प्रोसेस एंड इम्पैक्ट' – ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार, 2009

- अम्बाटे, पी. पी. एस. विजय शंकर और एम. शाह, 'टू ईयर्स ऑफ एनआरईजीए : द रोड अहेड', इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 43, संख्या 8, 23 फरवरी 2008
- एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई) 'क्विक अप्रेजल ऑफ नरेगा इन आंध्र प्रदेश', ग्रामीण विकास मंत्रालय/यूएनडीपी को सौंपी गई रिपोर्ट, हैदराबाद, एएससीआई, 2009
- घुरिये, डॉ. जी. एस. – जाति, वर्ग एवं व्यवसाय,
- कुमार, आर. एवं आर. प्रसन्ना, 'रोल ऑफ नरेगा इन प्रोवाइडिंग एडिशनल इम्प्लॉयमेंट फॉर ट्राइबल्स एंड कर्तेलिंग' इन नेशनल रूरल इम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट – 2010
- कुमार, ए. ए., 'इफेक्टिवनेस एंड ओनरशिप ऑफ इरिगेशन एसेट्स किएटेड अंडर एम जी एन आर ई जी ए एंड लेबर मार्केट डायनेमिक्स इन बिहार – 2010
- नाइहॉस, पी. एस. सुखतांकर, करप्शन डायनामिक्स : द गोल्डन गूज इफेक्ट वर्किंग पेपर, 2010
- स्वामी, आर, 'द महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट : ए स्टडी ऑफ आंध्र प्रदेश एंड बिहार', मास्टर्स डिसेटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल पॉलिसी, लंदन: स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, 2010
- सोलन शर्मा – शोध प्रबंध 2010